



संख्या- 336/जी0एस0/शिक्षा/A4-58/2012

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

- 9 JUN 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : मई, 2020

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 2249, दिनांक 28-11-2019 एवं पत्र संख्या 2252, दिनांक 28-11-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- तत्क्रम में यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, उ0त0वि0 की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
रूड़की कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स, 09 माईल स्टोन, रूड़की-देहरादून हाईवे, ग्रा0-किशनपुर, रूड़की।	एम0बी0ए0	60	2019-20

(1) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों/नियामक संस्थान के मानकों के पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019-20 के साथ ही पूर्व में लम्बित सत्रों की भी अस्थाई सम्बद्धता विषयक आदेश निर्गत करेगी व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराया जायेगा।

3- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या- (1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-58/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फ़ाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल।